



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]
No. 542]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2005/ज्यैष्ठ 11, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2005/JYAISTHA 11, 1927

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज खण्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का.आ. 747(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में क्रम सं. 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“75. मैसर्स श्री रामलिंगेश्वर पेपर प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम विमुलापल्ली, मंडेप्ता मंडल, जिला ईस्ट गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश राज्य”।

[फा. सं. 4(21)/2001-कागज]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18 मई, 2005 के आदेश सं. का.आ. 676(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

&

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 747(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004 namely :—

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

(1) in item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S.No. 74 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“75. M/s. Sri Ramalingeswara Paper Products (P) Ltd., Village Vemulapalli, Mandapeta Mandal, District East Godavari in the State of Andhra Pradesh.”

[F.No. 4(21)/2001-Paper]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004 and subsequently amended *vide* Order No. S.O. 676(E), dated 18th May, 2005 published in the Gazette of India.